राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्र. 4692/NREGS-MP/मीडिया/2008 भोपाल, दिनांक 24/7/2008

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला – ..... (समस्त),
   मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम सगन्वयक,
   जिला पंचायत – ..... (समस्त),
   मध्यप्रदेश

कार्यालय ... आवक क्र. 1831 (B) दि. ... 11/8/08

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत प्रचार प्रसार के कार्य संचालन बाबत।

संदर्भः मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 मई 2007।

संदर्भित राजपत्र के भाग – 1 की कंडिका –1 का अवलोकन करें जिसके अंतर्गत जनसंपर्क संचालनालय को राज्य के समस्त शासकीय विभागों के लिए एकमात्र विज्ञापन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य शासन की ओर से प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने के लिए भी संचालनालय ही अधिकृत है। अतः निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. से संबंधित सभी विज्ञापन, निविदाऐं एवं प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य का प्रकाशन जनसंपर्क विभाग से ही कराया जावें। किसी भी स्तर से स्थानीय एवं निजी समाचार पत्रों को सीधे विज्ञापन आदि न दिया जावें।

संलग्नः– मध्यप्रदेश राजपत्र की छायाप्रति (पेज क्र.– 1428)

23/7/08

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

पृ.क्र. 4693/NREGS-MP/मीडिया/2008 भोपाल, दिनांक 24/7/2008

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त समस्त संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, समस्त 313 जनपद पंचायत (म. प्र.) ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/7/08

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

75

जन सम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2007

क्र. एफ. 11-3-जसं-चौबीस-07.—राज्य शासन द्वारा विज्ञापन संबंधी पूर्व में जारी किये गये आदेशों/निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए विज्ञापन नीति में नवीन प्रावधानों को समाहित कर समाचार-पत्रों इलेक्ट्रानिक मीडिया, वेब साइटस आदि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं.

विज्ञापन संबंधी नियम : 2007

कंडिका-1. जनसंपर्क संचालनालय राज्य के समस्त शासकीय विभागों के लिये एकमात्र विज्ञापन एजेन्सी के रूप में कार्य करता है. संचालनालय द्वारा सभी विभागों की ओर से नियतकालिक प्रकाशनों में वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये गये जाते हैं. राज्य शासन की ओर से प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने के लिये भी संचालनालय ही अधिकृत है: निगम/निकायों के विज्ञापन भी संचालनालय के माध्यम से ही जारी करने के शासन के निर्देश है.

शासन द्वारा जारी किये गये किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश के अध्यधीन प्रकरणों को छोड़कर कोई भी शासकीय विज्ञापन अनुमोदित सूची से भिन्न किसी समाचार-पत्र में और जनसंपर्क संचालनालय से भिन्न किसी माध्यम से या सीधे नहीं दिया जायेगा.

विज्ञापन सूची

कंडिका-2. शासकीय विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है. विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य समाचार एवं सामायिक सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, जनसंचार के अन्य माध्यमों और प्रकाशनों के माध्यम से लक्ष्य समूह में अधिकतम प्रचार सुनिश्चित करना है. विज्ञापन उपलब्धता, आवश्यकता और आवंटित बजट के अनुसार जारी किये जायेंगे.

विज्ञापन जारी करने के लिये राज्य से प्रकाशित होने वाले दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों की एक अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी. इस सूची में चयन के लिये समाचार-पत्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. सूची में समाचार-पत्रों के चयन के लिए आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क द्वारा तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाएगा.

कंडिका-3. विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये दैनिक और साप्ताहिक समाचार-पत्रों के लिये न्यूनतम प्रसार संख्या दो हजार होना आवश्यक होगा.

कंडिका-4. विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये समाचार-पत्रों का एक वर्ष का नियमित प्रकाशन आवश्यक होगा.

कंडिका-5. समाचार-पत्र को प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट के प्रावधानों का पालन करना होगा. समाचार-पत्रों को भारत के समाचार-पत्र के पंजीयक के यहां पंजीकृत होना चाहिए.

सूची में शामिल होने के लिए आवेदन

कंडिका-6. सूची में शामिल होने के लिए समाचार-पत्रों द्वारा नियमित प्रकाशन का एक वर्ष पूरे होने के बाद निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा. आवेदन करने वाले पत्र को न्यूनतम अवधि के सभी अंकों का प्रकाशन अनिवार्य होगा. संबंधित समिति की बैठक 6 माह में एक बार होगी.

समिति द्वारा विज्ञापन की अनुमोदित सूची में समाचार-पत्रों को शामिल करने के लिए स्वर, नीति, स्तर तथा नियमितता का भी परीक्षण किया जाएगा.

कंडिका-7. विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिए समाचार-पत्रों का न्यूनतम आकार निम्नानुसार होगा:—

क्रमांक	नियतकालिकता	न्यूनतम आकार
(1)	(2)	(3)
1	दैनिक-पत्र	1520 स्टे. का. से.मी/7600 वर्ग से.मी.
2	साप्ताहिक पत्र	960 स्टे. का. से.मी/4800 वर्ग से.मी.

कंडिका-8. 6 हजार तक प्रसार संख्या के लिए चार्टड एकाउंटेन्ट का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा. 6 हजार से अधिक प्रसार संख्या के लिये डी.ए.वी.पी. द्वारा मान्य प्रसार संख्या, रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर का प्रसार संख्या का प्रमाण-पत्र अथवा ए.बी.सी.ए. का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा.

नियमितता

कंडिका-9. निम्नानुसार पत्रों को अनियमित माना जाकर उन्हें सूची से पृथक् कर दिया जाएगा.—

1. दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशन लगातार 7 दिवस बन्द होने पर.
2. साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रकाशन लगातार 3 सप्ताह तक बन्द होने पर.

परन्तु यदि औद्योगिक विवाद अथवा दैवीय विपत्ति के फलस्वरूप किसी समाचार-पत्र का प्रकाशन बन्द होने पर उसे अनियमित नहीं माना जावेगा.